रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2015/भाद्र 9, 1937
No. 295] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2015/BHADRA 9, 1937

भारतीय विधिज्ञ परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2015

27 मई 2015 को आयोजित सामान्य लीगल एजुकेषन कमेटी की बैठक की कार्यवृत्त के अंष लीगल एजुकेषन कमेटी के द्वारा अनुषासित संषोधन प्रस्ताव को भारतीय विधिज्ञ परिषद की सामान्य सभा द्वारा संकल्प सं. 97/2015 दिनांक 6 जून 2015 द्वारा अनुमोदित किया जाता हैं

सं. भा.वि.प. : डी : 3840/15.—27 मई 2015 को आयोजित इसकी बैठक में लीगल एजुकेशन कमेटी ने निम्नलिखित संशोधन द्वारा स्पष्टीकरण 3 के साथ शीर्षक "निरीक्षण तथा अन्य शुल्क", क्लॉज (3) के अन्तर्गत अनुच्छेद 4 में लीगल एजुकेशन रूल्स-2008 को संशोधित करने का निर्णय किया:

> "कमेटी ने पाया कि लॉ पाठ्यक्रम के संस्थान/महाविद्यालयों की बड़ी संख्या दो कमरों तथा बहुत कमजोर वित्तीय व्यवस्था वाले न्यूनतम आधारभूत संरचना के साथ भी कार्य कर रहे हैं। कुछ स्थितियों में बैंक में न्यूनतम वित्तीय धनराशि भी फाल्टर्ड होती है। बढ़ते हुए मूल्यों के साथ भी लॉ पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे महाविद्यालयों को श्रेष्ठ होने के लिए सुरक्षा निधि जो नये महाविद्यालयों के लिए निश्चित की गयी है बहुत कम हैं। समिति सुझाव देती है कि बार काउन्सिल ऑफ इन्डिया की स्वीकृति चाहने वाले प्रत्येक ऐसे नये महाविद्यालयों के लिए 5,00,000/- रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।"

अतः लीगल एजुकेशन रूल्स-2008 के स्पष्टीकरण 3 के साथ शीर्षक "निरीक्षण तथा अन्य शुल्क" क्लॉज (3) के अन्तर्गत अनुच्छेद 4 को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है:

(3) बार काउन्सिल ऑफ इन्डिया के सभी नियमों को परिपूर्ण करने का आश्वासन ... रुपये पाँच लाख

स्पष्टीकरण:

1. .....

2. .....

3. जब कभी लीगल एजुकेशन के केन्द्र के लिए मान्यता की स्वीकृति दी जाती है तो लीगल एजुकेशन के केन्द्रों के लिए बार काउन्सिल ऑफ इन्डिया के सभी नियमों को परिपूर्ण करने के आश्वासन के रूप में रूपये पाँच लाख

जमा कराना लीगल एजुकेशन के केन्द्रों के लिए आवश्यक होगा। जिसे जब्त करने का अधिकार होगा यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तथा उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

अशोक कुमार पांडे, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./96/15/(184)]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2015

Extracts of the Minutes of the Legal Education Committee meeting held on 27th May, 2015

This recommendation of Legal Education Committee approved by the General Council meeting dated 6th June 2015 vide Resolution No. 97/2015

No. BCI : D : 3840/15.—The Legal Education Committee at its meeting held on 27th May, 2015 has decided to amend the Legal Education Rules-2008 in Schedule IV under the heading "Inspection and other fees", Clause (iii) with explanation 3 by following resolution:

> "The Committee finds that large number of institution/colleges for law courses are working even with two rooms and minimum infrastructure having very weak financial set up. In some cases, even minimum financial amount in the bank is being faltered. In order to have best of such colleges for law courses also with rising prices, the security amount which is fixed for the new colleges are too low. The Committee recommends it should be raised to Rs. 5,00,000/- for each such new colleges seeking approval of the Bar Council of India."

Therefore Schedule IV under the heading "Inspection and other fees", Clause (iii) with explanation 3 of the Legal Education Rules-2008 is hereby amended as follows:

(iii) Guarantee for fulfilling all the Rupees..... Five Lakhs norms of the Bar Council of India

Explanation :

1. ……..

2. …….

3. Whenever approval of affiliation is granted to the Centres of Legal Education, it shall be necessary for the Centres of Legal Education to deposit Rupees Five Lakhs in shape of guarantee to fulfill all the norms of the Bar Council of India. The same shall be liable to be forfeited if norms are not complied with and same shall carry no interest.

ASHOK KUMAR PANDEY, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./96/15(184)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.